तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
30-10-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना-पत्र 212 RTA का आदेश सुनाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 35/2017 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 26.07.2017 — जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. श्रीमति प्रकाश बाई पुत्री बरधा जी पत्नि गोपाल जी जाति मीणा निवासी देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

– प्रार्थीनी –

बनाम

1. जानकी बाई पुत्री बरधा पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी हाल निवासी भाखण्डा की खेडली तहसील पिपल्दा जिला कोटा (राज0)
2. कैलाश पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
3. बैंक ऑफ बडोदा शाखा लबान जिला बून्दी जर्ये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.एक्ट. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री दिनेश कुमार एडवोकेट – प्रार्थीनी की ओर से
उपस्थित :– श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2019

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ में स्थित खसरा संख्या 747 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा संख्या 748 रकबा 1.30 हैक्टर खसरा किता 2 योग रकबा 2.79 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता बरधा आत्मज छपना के खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। बरधा जी के कोई पुत्र नही था। बरधा की मृत्यु के बाद दो पुत्रिया प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व बैवा जमना बाई मौजूद थे। बरधा की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा नामान्तकरण बैवा जमना बाई के नाम खोल दिया गया। जबकि नामान्तकरण प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 नाबा. थी का नाम दर्ज नही किया गया। माता जमना बाई ने उक्त भूमि को काश्त कर उसकी आय से प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 का लालन पोषण व शादी विवाह किया गया। अप्रार्थीया संख्या 1 ने अपनी माता जमना बाई को धोखे में रखकर अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 के नाम हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2013 को करवा लिया गया। जो प्रार्थीया के हितो के प्रतिकुल है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 का बराबर हिस्सा होने से बेचान केवल मात्र 1/3 हिस्से तक ही मान्य है। चूंकि उक्त भूमि बरधा जी की थी जो विरासत के आधार पर प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 व बैवा जमना

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

बाई के नाम नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था। जिसमे प्रत्येक का हिस्सा 1/3, 1/3 बनता है। प्रार्थीया अपने हिस्से की खातेदार होने की अधिकारणी है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से प्रार्थीया का नाम अंकित कराने को कहां तो इन्कार कर दिया गया एवं धमकी दी गई कि विवादित कृषि भूमि को बेचान व खुर्द बुर्द व अन्तरण कर देगे जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। और अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि को बेचान व खुर्द बुर्द व अन्तरण कर देगे तो प्रार्थीया को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वाद वर्णित कृषि भूमि को रहन बेचान व खुर्द बुर्द नही करें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 17.07.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट अप्रार्थी संख्या 2 कैलाश है। काबिज होकर काश्तकारी करता चला आ रहा है। समय समय पर लगान पिलाई अदा की जा रही है। उक्त कृषि भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2013 से खातेदार टिनेन्ट जमना बाई से खरीद की गई है। जिसका इन्तकाल नम्बर 789 दिनांक 4.9.2013 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। यह सही है कि बरधा की मृत्यु होने पर फोती इन्तकाल उनकी बैवा जमना बाई के नाम तस्दीक किया गया। खातेदार बरधा जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आती है। जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। बल्कि ओल्ड हिन्दु लागू होता है।

हमारे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि वाद विषयक कृषि भूमि प्रार्थी के पिता बरधा व उनके भाई रामचन्द्र तथा माधों के खातेदारी में दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि बरधा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। बरधा जी के कोई पुत्र नही था और बरधा की मृत्यु के बाद जर्ये फोती नामान्तकरण से प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही कर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अकेले जमना बाई बेवा बरधा के नाम दर्ज कर दिया गया प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज नही किया गया जो विधि विरूद्व है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टांत RRT 2009–2010 SUPP पेज 208, RRT 2012 I पेज 95, RRT 2012 पार्ट I पेज 350, RRT 2019 पार्ट I पेज 648, RRT 2011 पेज 680, RRT 2014 पार्ट I पेज 624 पेश किये गये।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुये तर्क दिया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2013 से खातेदार जमना बाई से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वाद विषयक कृषि भूमि क्रय की गई थी। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज होकर काबिज काश्त है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2013 को निरस्त कराये बिना दावा चलने योग्य नही है। पक्षकारान मीणा जाति से है जिस पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है बल्कि ऑल्ड हिन्दु ला लागू होता है। उसके प्रावधानुसार यदि मीणा जाति के खातेदार की मृत्यु होने व उसके कोई पुत्र जीवित नही होने पर केवल विधवा को ही प्रथम श्रेणी का वारिस माना गया है। पुत्रियों का कोई हक अधिकार उक्त कानून में नही माना गया है। न ही प्रथम श्रेणी का वारिस

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

होना उल्लेखित किया गया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टांत RRD 2002 पेज नं0 31, RBJ 2004 (1) पेज नं0 270, RRT 2013 (1) पेज नं0 123, RRT 2011 (2) पेज नं0 1419, RRD 2000 पेज नं0 132 पेश किये गये।

हमारे द्वारा उभय पक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 कैलाश के नाम बतौर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2013 के आधार पर इन्द्राज किया गया। इस विक्रय पत्र को आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाना पाया जाता है। वाद विषयक कृषि भूमि पर प्रकाश बाई का किसी प्रकार कोई हक अधिकार नही है। यह प्रश्न प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट में निस्तारित नही किया जा सकता। बल्कि उभय पक्षों की साक्ष्य के उपरान्त मूल वाद में तय किया जाना सम्भव है। प्रार्थीया द्वारा वाद विषयक कृषि भूमि का खातेदार नही होना स्वीकृत तथ्य है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार जमनाबाई नें अप्रार्थी संख्या 2 को वाद विषयक भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जाना साबित है। प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार होने एवं कब्जा काश्त होने के कोई सबूत पेश नही किये जाने व अप्रार्थी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार होने से, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि सम्मत नही होने एवं प्रार्थीया का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही होने व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नही होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)